

राजस्थान सरकार
निदेशालय, कोष एवं लेखा, राज., जयपुर

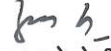
क्रमांक : एफ.4(ई)(एन-1990/2013)/अलेसे-III/5149

दिनांक :- 11/02/2020

कार्यालय आदेश

राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के निम्नांकित कार्मिक की कॉलम 04 में अंकित आदेशों की प्रतीक्षा अवधि को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 7(8)(बी)(III) के अन्तर्गत नियमित करते हुए निम्नानुसार कॉलम 04 में अंकित अवधि के वेतन आहरण की एतद्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क्र. सं.	लिंक नं.	नाम/पदनाम	अवधि	विभाग/कार्यालय जहाँ से वेतन भुगतान किया जाना है:-
			आदेशों की प्रतीक्षा अवधि	
1	2	3	4	5
1	10104	श्रीमती नेहा विजय, क0 लेखाकार	दि. 19.07.2019 से 25.07.2019 एवं दि. 04.09.19 से 06.09.19 (दि. 07.09.19 से 08.09.19 का राजपत्रित अवकाश सहित) कुल 12 दिवस	ग्रामीण विकास विभाग- 1000046, शासन सचिवालय, जयपुर


(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांक : एफ.4(ई)(एन-1990/2013)/अलेसे-III/5149

दिनांक :- 11/02/2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं (ई.एस.आई.), सोडाला, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव(प्रशासन), ग्रामीण विकास विभाग- 1000046, शासन सचिवालय, जयपुर को कार्मिक की एल.पी.सी. संलग्न कर अनुरोध है कि कार्मिक की सेवा पुस्तिका प्राप्त होने पर नियमानुसार वेतन भुगतान की व्यवस्था करवाते हुए सेवा पुस्तिका में इन्द्राज करवाने की व्यवस्था करावें।
3. श्रीमती नेहा विजय, क0 लेखाकार, कनिष्ठ लेखाकार, ग्रामीण विकास विभाग- 1000046, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. अतिरिक्त निजी सचिव निदेशक महोदय।
5. उप निदेशक(एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. पदस्थापन सीट/वरिष्ठता सीट/गोपनीय शाखा।


(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-III)